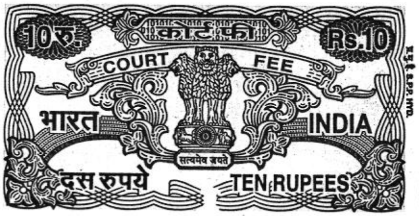

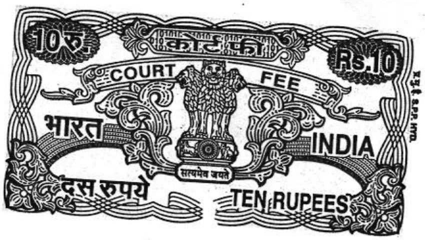

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : ..../2015

निगरानी 1553-PBR-15

01. **विनय सिंह**, वयस्क
आत्मज स्व. श्री माधो सिंह

02. **नारायण सिंह (मृत)**
उत्तराधिकारी पुत्र जसवंत सिह, वयस्क
निवासी न्यू जेल रोड, करोद, भोपाल

03. **विजय सिंह**, वयस्क
आत्मज श्री पूरन सिंह
कृषक व निवासी ग्राम पलासी,
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल .... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

01. **नारायण प्रसाद देवलिया**, वयस्क

02. **नन्नू लाल देवलिया**, वयस्क
दोनों पुत्रगण स्व. श्री गौरीशंकर
निवासीगण ग्राम पलासी, तहसील हुजूर
ज़िला भोपाल .... **प्रतिप्रार्थीगण**

noted 2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 18.05.15 जो प्रकरण क्र. 2/बी-121/14-15 में श्रीमान् कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं गठित दल द्वारा किया गया

महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग01553–पीबीआर/15 जिला – भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–7–2015	आवेदकगण अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 18–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम सीमांकन आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त सीमांकन पंचनामा से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक क्रमांक 1 विनयसिंह उपस्थित हुआ है और उनके द्वारा सीमांकन में सहमति दी गई है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया प्रीमच्योर एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	